रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-03122025-268195 CG-MH-E-03122025-268195

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 774] No. 774] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025/अग्रहायण 10, 1947 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/AGRAHAYANA 10, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 1 दिसम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/279.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के तहत, प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से एक सौ अस्सीवें दिन लागू होंगे:

8070 GI/2025 (1)

परंतु यह कि विनियम 3 के उप-विनियम II के खंड (i) एवं (ii) राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में,-
 - I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,
 - i. मौजूदा खंड (द) अब खंड (ध) बन जाएगा;
 - ii. इस प्रकार बने खंड (ध) से पहले, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 - "(द) भरोसेमंद विदेशी निवेशक हेतु एक ही पटल (ऑटोमैटिक एवं व्यापक) की व्यवस्था (सिंगल विंडो एक्सेस) [स्वागत – एफआई] में निम्नलिखित शामिल होंगे (बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुरूप):
 - (i) सरकार और सरकार से संबंधित निवेशक, जिनका जिक्र इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (क) के उप-खंड (i) में किया गया है;
 - (ii) पब्लिक रीटेल फंड, जिनकी परिभाषा इन विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (4) में दिए हुए स्पष्टीकरण वाले खंड में दी हुई है;"
 - II. विनियम 4 में, खंड (ग) में, उप-खंड (v) के बाद,
 - पहले परंतुक के बाद और दूसरे परंतुक से पहले, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, "परंतु यह और कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 [सेबी (म्यूचुअल फंड) रेग्यूलेशन्स, 1996] के तहत रिजस्टर म्यूचुअल फंड भी आवेदक का हिस्सा हो सकता है, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन किया जाए:"
 - ii. तीसरे परंतुक में,
 - क) खंड (i) में, शब्दों तथा चिह्न "ऑल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड)" के बाद और शब्दों तथा चिह्न "हो, जिसका गठन" से पहले शब्द "या ऐसी रीटेल स्कीम" जोड़े जाएँगे।
 - ख) खंड (ii) में, शब्दों तथा चिह्नों "का प्रायोजक (स्पॉन्सर) या प्रबंधक (मैनेजर) हो" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "के फंड का संचालन करने वाली एंटिटी (निधि प्रबंधन एंटिटी / फंड मैनेजमेंट एंटिटी) या उसका सहयोगी (असोसिएट) हो" आ जाएँगे।
 - ग) खंड (iii) में,
 - क. उप-खंड (क) में, शब्दों, अंकों तथा चिह्नों "आवेदक के कॉर्पस के 2.5% तक की हो या 7,50,000 अमरीकी डॉलर की हो (जो भी कम हो), यदि आवेदक

- प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधि हो; या" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "आवेदक के कॉर्पस के 10% तक की हो, यदि आवेदक एक ए.आई.एफ. (आनुकल्पिक निवेश निधि / ऑल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड) हो; या" आ जाएँगे।
- ख. उप-खंड (ख) में, शब्दों, अंकों तथा चिह्नों "आवेदक के कॉर्पस के 5% तक की हो या 1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की हो (जो भी कम हो), यदि आवेदक प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधि हो;" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "ए.यू.एम. (प्रबंधनाधीन आस्तियों / असेट्स अंडर मैनेजमेंट) के 10% तक की हो, यदि आवेदक एक रीटेल स्कीम हो;" आ जाएँगे।
- ग. उप-खंड (ख) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,"स्पष्टीकरण 'फंड का संचालन करने वाली एंटिटी (निधि प्रबंधन एंटिटी /
 फंड मैनेजमेंट एंटिटी)' और 'सहयोगी' (असोसिएट) का वही अर्थ होगा, जो
 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025
 [इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ अथॉरिटी (फंड मैनेजमेंट) रेग्यूलेशन्स,
 2025] (समय-समय पर यथा संशोधित) में बताया गया है।"
- iii. तीसरे परंतुक के बाद और चौथे परंतुक से पहले, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-"परंतु यह और कि खंड (ग) के उप-खंड (ii) के प्रावधान 'स्वागत-एफआई' के मामले में लागू नहीं होंगे।"
- III. विनियम 7 में, उप-विनियम (6) में, दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,"परंतु यह और कि 'स्वागत-एफआई' उतनी रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्रीकरण) फीस दस वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु अदा
 करेगा, जितनी फीस अदा करने का जिक्र दूसरी अनुसूची के भाग-क में किया गया है, लेकिन यह फीस वह
 ब्लॉक शुरू होने से पहले अदा करनी होगी।"
- IV. दूसरी अनुसूची में, भाग-क में,
 - ं. खंड (2) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, "परंतु यह कि स्वागत-एफआई, दस वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु, रिजस्ट्रेशन फीस तब तक अदा करता रहेगा, जब तक उसका रिजस्ट्रेशन मान्य रहे।"
 - ii. खंड (4) में, पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, "परंतु यह और कि 'स्वागत-एफआई' के मामले में, रिजस्ट्रेशन फीस प्रत्येक दस वर्षों में एक बार पहले ही ले ली जाएगी।"

अमित प्रधान,कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./510/2025-26]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, मूल विनियम, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/36, द्वारा 23 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 तत्पश्चात्,-
 - (1) 19 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2019/44, द्वारा
 - (2) 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2020/09, द्वारा
 - (3) 17 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - (4) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
 - (5) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2021/32, द्वारा
 - (6) 26 अक्तूबर 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन/ 2021/54, द्वारा
 - (7) 14 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/ जी.एन./2022/64, द्वारा
 - (8) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) विनियम 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/99, द्वारा
 - (9) 14 मार्च, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/ 2023/128, द्वारा
 - (10) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
 - (11) 10 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2023/143, द्वारा
 - (12) 3 जून, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2024, सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2024/183, द्वारा
 - (13) 26 जून, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2024, सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2024/185, द्वारा
 - (14) 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम 2025, फा. सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा
 - (15) 11 अगस्त, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2025, फा.सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2025/254, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 1st December, 2025

Securities And Exchange Board Of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2025

No.SEBI/LAD-NRO/GN/2025/279.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) of sub-section (2) of section 11 and sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), and under Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, namely, —

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2025.
- 2. They shall come into force on the one hundred eightieth day from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

Provided that clauses (i) and (ii) of sub-regulation II of regulation 3 shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, -
 - I. In regulation 2, in sub-regulation (1),
 - i. existing clause (q) and (r) shall be re-numbered as clause (p) and (q), respectively;
 - ii. after the clause (q) so re-numbered, the following new clause shall be inserted, namely, -
 - "(r) "Single Window Automatic and Generalised Access for Trusted Foreign Investor" or "SWAGAT-FI" shall, subject to conditions as may be specified by the Board from time to time, include the following:
 - (i) Government and Government related investors as provided under subclause (i) of clause (a) of regulation 5 of these regulations;
 - (ii) Public retail funds as defined in the Explanation clause under subregulation (4) of regulation 22 of these regulations;"
 - II. In regulation 4, in clause (c), after sub-clause (v),
 - i. after the first proviso and before the second proviso, the following new proviso shall be inserted, namely,
 - "Provided further that a mutual fund registered under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 may also be constituent of the applicant, subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time:"

- ii. in the third proviso,
 - A) in clause (i), after the words "the applicant is an Alternative Investment Fund" and before the words "setup in the International Financial Services Centres", the words "or a Retail Scheme" shall be inserted.
 - B) in clause (ii), the words "Sponsor or Manager" shall be substituted with the words "fund management entity or its associate".
 - C) in clause (iii),
 - a. in sub-clause (a), the words and symbols "2.5% of the corpus of the applicant or US \$ 7,50,000 (whichever is lower), in case the applicant is a Category I or Category II Alternative Investment Fund; or" shall be substituted with the words and symbols "10% of the corpus of the applicant in case the applicant is an Alternative Investment Fund; or".
 - b. in sub-clause (b), the words and symbols "5% of the corpus of the applicant or US \$ 1.5 million (whichever is lower), in case the applicant is a Category III Alternative Investment Fund;" shall be substituted with the words and symbols "10% of the Assets under Management in case the applicant is a Retail scheme;".
 - c. after sub-clause (b), the following explanation shall be inserted, namely,
 - "Explanation 'fund management entity' and 'associate' shall have the meaning as provided under International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2025 as amended from time to time."
- iii. after the third proviso and before the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely, -
 - "Provided further that the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) shall not be applicable to a SWAGAT-FI."
- III. In regulation 7, in sub-regulation (6), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided further that a SWAGAT-FI shall pay the registration fees, as provided in Part A of the Second Schedule for every block of ten years, before the beginning of such block."

- IV. In the Second Schedule, in Part A,
 - i. in clause 2, the following proviso shall be inserted, namely, -
 - "Provided that a SWAGAT-FI shall pay registration fees for every block of ten years, till the validity of its registration."

ii. in clause 4, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided further that in case of a SWAGAT-FI, the registration fees shall be collected in advance once in every ten years."

AMIT PRADHAN, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./510/2025-26]

Footnote:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on September 23, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36).
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were subsequently amended on
 - (1) 19th December, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/44.
 - (2) 7th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2020 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2020/09.
 - (3) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (4) 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - (5) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/32.
 - (6) 26th October, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/54
 - (7) 14th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/64
 - (8) 9th November, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/99
 - (9) 14th March, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/128.
 - (10) 3rd July, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
 - (11) 10th August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/143
 - (12) 3rd June, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/183.
 - (13) 26th June, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/185.
 - (14) 10th February, 2025, by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.
 - (15) 11th August, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/254.